7

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–112 / 2016

मनी देवी बनाम रंजीत यादव

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
24/3/2021	आवेदिका मनी देवी, पति–श्री केसर यादव, साकिन–खपिया, कुन्दा, जिला–चतरा द्वारा अंचल अधिकारी, कुन्दा के विविध वाद संख्या–01 / 2014–15 में दिनांक–27.10.2016 को पारित आदेश को निरस्त कर के आवेदक के नाम रसीद निर्गत करने का आदेश पारित करने हेतु अधिवक्ता के माध्यम से अभ्यावेदन समर्पित किया गया। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, कुन्दा से निम्न न्यायालय अभिलेख की मॉग की गई। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि आवेदक ने जायज मालिक पुरन यादव, पिता–बासुदेव महतो, मौजा–खपिया, थाना–कुन्दा, थाना नं0–169 के अंदर खाता संख्या–22, प्लॉट संख्या–168, रकबा–40 डी0, प्लॉट संख्या–94 रकबा–24 डी0 वो प्लॉट संख्या–185, रकबा–36 डी0, कुल रकबा–1.00 एकड़ को पंजीकृत केवाला संख्या–3793 / 3723 दिनांक–27.08.2013 ई0 को माध्यम से खरीद कर मालिक के हैसियत से काबिज वो दखलकार चली आ रही है। यह कि आवेदक के विक्रेता पुरन यादव के पिता–श्री बासुदेव महतो ने मौजा–खपिया, थाना–कुन्दा, थाना नं0–169 के खाता संख्या–22, प्लॉट संख्या–91, रकबा–37 डी0, प्लॉट संख्या–49, रकबा–56 डी0, प्लॉट संख्या–64, रकबा–1.66 एकड़, प्लॉट संख्या–68, रकबा–89 डी0, प्लॉट संख्या–94, रकबा–49 डी0, प्लॉट संख्या–169, रकबा–62 डी0, प्लॉट संख्या–150, रकबा–2.75 एकड़, प्लॉट संख्या–196, रकबा–65 डी0 प्लॉट संख्या 168, रकबा–2.30 एकड़ कुल खाता संख्या–01 कुल प्लॉट	

1 Misc

(8)

संख्या–09, कुल रकबा–10.25 एकड़ जमीन को जायज मालिक राजकुमार विरेन्द्र नाथ सिंह से दिनांक–11.07.1959 ई0 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदकर काबिज दखलकार हुए थे तथा दाखिल खारिज केश संख्या–01/60–61 के आदेश के पश्चात् बासुदेव महतो उर्फ बासु महतो के नाम मांग पंजी–II में अंकित होकर सरकारी रसीद निर्गत चली आ रही है। यह कि आवेदक के विक्रेता के पिता बासुदेव महतो ने अपनी खरीदगी जमीन के प्लॉट संख्या–168, रकबा–2.30 एकड़ वाली जमीन के मिट्टी से गॉव के दुखन प्रजापति वो पुरण प्रजापति से खपड़ा बनाकर उसी खपड़ा से भण्डार बनाये तथा भण्डार में रहकर खेतीबारी करते रहें तथा सोलह साल सरकार को मालगुजारी अदा करके रसीद हासिल करके फसल को अपने मशरफ में लेते रहें। यह कि आवेदक के विक्रेता के पिता बासुदेव महतो अपने पीछे दो पुत्र आवेदक के विक्रेता वो कृष्णा प्रसाद को छोड़कर मरे, जिस करण आवेदक विक्रेता से वाद भूमि को खरीद किया है। यह कि यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि विपक्षी रंजीत यादव के दादा वो आवेदक के चाचा ससूर गणेश यादव की शादी आवेदक के विक्रेता के पिता की भतिजी जीरवा देवी के साथ हुई थी, विपक्षी रणजीत यादव के पिता रामवृक्ष महतो, चाचा अमेरिका यादव, इन्दो यादव, नाथों यादव को छोड़कर मरे जिनलोगों ने आवेदक के विक्रेता के पिता–बासुदेव महतो के नीज हकियत दखल कब्जा को स्वीकार किये हैं यह कि आवेदक एवं विपक्षी का वशावली वाद पत्र के पिता बासुदेव महतो के नीज हकियत दखल कब्जा को स्वीकर किये हैं। यह कि आवेदक एवं विपक्षी का वंशावली वाद पत्र के अंत में दिखाया गया है जो अपील वाद का एक अंश है। यह कि आवेदक से पूर्व खरीदगी जमीन पर अदबटाई करके फसल को अपने विक्रेता के पिता बासुदेव महतो वो विक्रेता के आधा दिया करती थी, वर्तमान में खरीदगी के पश्चात् जायज मालिक के हैसियत से काबिज वो दखलकार चली आ रही है तथा फसल को अपने भोग तशरूफ में लेते चली आ रही है। यह कि आवेदक ने अपने पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अंचल कार्यालय कुन्दा में दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिये, जिस पर विपक्षी रणजीत यादव ने राजस्व कर्मचारी एवं अंचल कर्मचारी को मेल में लेकर गलत रिर्पोट कर वो करवाकर अवैध तरीके विद्वान अंचल अधिकारी, कुन्दा ने विविध वाद 01/2014–15 में उपलब्ध दस्तावेज रहने के बावजुद आवेदक के बगैर सुने दिनांक–27.10.2016 को आवेदक के दाखिल खारिज आवेदन को अस्वीकृत आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक निम्नलिखित आधार विन्दुओं के तहत

श्रीमान न्यायालय में अपील आवेदन दाखिल कर रहे हैं। यह कि विद्वान अंचल अधिकारी के आदेश की जानकारी आवेदक को दिनांक–07.11.2016 को हुई, जिसके जानकारी के बाद नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक–08.11.2016 को आवेदन किये तथा दिनांक–11.11.2016 को नकल प्राप्त करके आज श्रीमान न्यायालय में अपील दाखिल कर रहे है, जो समय सीमा के अंदर है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि चुँकि विद्वान अंचल अधिकारी, कुन्दा का आदेश विधि दृषि से दोषपूर्ण है और साम्या तथा न्याय के विरूद्ध है। चुँकि विद्वान अंचल अधिकारी कुन्दा ने तथ्यों का मूल्यांकन करने में असफल रहा है एंव गलत विनिश्चय किया है। चुँकि विद्वान अंचल अधिकारी, कुन्दा रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर उचित रीति से विचार नही किया है जो इस आदेश से सुस्पष्ट है। चुँकि विद्वान अंचल अधिकारी, कुन्दा ने आवेदक के बगैर सुन मनमानी तरीके से ऑख बंद करके आदेश पारित किया है, जिस कारण निचली अदालत का आदेश अपास्त होने योग्य है। चुँकि विपक्षी रंजीत यादव के पूर्वज आवेदक के विक्रेता पुरन यादव के पिता बासुदेव यादव के केवाला से प्राप्त किये गये जमीन का नीज हकियत दखल कब्जा माने है, तो रंजीत यादव के द्वारा दाखिल सादा जाली, बनावटी वो कुटरचित हुकुमनामा रसीद को विद्वान अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा सही मान लेना एक आश्चर्य के विषय है, जिस कारण भी निचली अदालत का आदेश अपास्त होने योगय है। चुँकि विपक्षी रंजीत यादव के द्वारा दाखिल खारिज जाली, बनावटी, कुटरचीत हुकुमनामा रसीद का लिखावट के उग्र प्रथम दृष्टया से आज का लिखावट प्रतीत होता है, जिस पर विद्वान अंचल अधिकारी, कुन्दा ने विचार नहीं किया है। चुँकि विद्वान अंचल अधिकारी, कुन्दा ने मेली जॉच कर्मचारी रिर्पाट में भी आवेदक का दखल कब्जा का उल्लेख रहने के बावजुद आवेदक का दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत करना विधि संगत नहीं है, जिस करण भी निचली अदालत का आदेश निरस्त होने योग्य है। आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, कुन्दा के आदेश दिनांक–27.10.2016 को निरस्त करके आवेदक के नाम रसीद निर्गत करने का आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि यह कि अपीलर्थी के द्वारा दायर किया गया उक्त वाद नियम के तहत् पोषणीय नहीं है तथा खारिज करने योग्य है। यह कि अपीलार्थी द्वारा यह वाद सिर्फ गलत आधार पर परेशान करने के लिए यह वाद दायर किया गया है। अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा सही आदेश पारित

किया गया है। यह कि अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में फर्जी एवं बनावटी तथ्य अंकित किया गया है। यह कि खाता संख्या–22, प्लॉट संख्या–49, रकवा–36 डी0, प्लॉट संख्या–54, रकवा–1.66 एकड़, प्लॉट संख्या–68, रकवा–84 डी0, प्लॉट संख्या–80, रकवा–29 डी0, प्लॉट संख्या–91, रकवा–37 डी0, प्लॉट संख्या–94, रकवा–49 डी0, प्लॉट संख्या–159, रकवा–62 डी0, प्लॉट संख्या–168, रकवा–2.30 एकड़, प्लॉट संख्या–176, रकवा–69 डी0, प्लॉट संख्या–178, रकवा–24 डी0, प्लॉट संख्या–185, रकवा–75 डी0, प्लॉट संख्या–197, रकवा–66 डी0 कुल खाता 01, कुल प्लॉटों की संख्या 14 कुल रकवा–12.33 एकड़ भूमि ग्राम–खापिया थाना नं0–169, थाना–कुन्दा जिला–चतरा पूर्व जमीन्दार के नाम से गैरमजरूआ खास बकास्त भूमि दर्ज है। यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि गणेश महतो, पिता–ननकु महतो सीमांत किसान थे उन्होनें ग्राम खपिया के पूर्व जमीन्दार को भूमि बंदोबस्त करने हेतु अनुरोध किया। पूर्व जमीन्दार हरवंश महतो ने ग्राम–खपिया के खाता सख्या–278 कुल रकवा–12.33 एकड़ भूमि का गणेश महतो, पिता–तिलक महतो के नाम से संवत् 2003 यानि 1946, दिनांक–19.10.1946 को 121 रूपये सलामी देकर हुकुमनामा निर्गत किया। यह है कि बंदोबस्तधारी उक्त भूमि पर काबिज होकर फसल उगाते रहे। यह है कि गणेश महतो के मृत्यु के पश्चात् उनके वंशज रामृक्ष यादव उक्त भूमि पर दखलकार होकर विभिन्न प्रकार के फसल उगाते रहे। यह है कि गणेश महतो पूर्व जमीन्दार का लगान देकर रसीद प्राप्त करते रहे साथ ही जमीन्दारी उन्मुलन के पश्चात् रामवृक्ष यादव बिहार सरकार को लागन देकर सरकारी रसीद प्राप्त करते रहे है। रामवृक्ष महतो के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र रंजीत यादव उक्त भूमि का उत्तराधिकारी हुए। यह है कि स्व0 रामवृक्ष महतो के पुत्र द्वारा वर्ष 2016 में अंचल अधिकारी, कुन्दा के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा रंजीत यादव के पिता के नाम से अलग डिमाण्ड खोलने हेतु ओदश दिया गया है। यह है कि डिमाण्ड पंजी–II में रंजीत यादव के पिता के नाम चल रहे जमाबंदी पुष्टि करता है कि बंदोबस्ती के पश्चात् शांतिपूर्ण तरीके से लगातार प्रश्नगत भूमि पर काबिज है। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में भी अंकित है कि विपक्षी के पूर्वज द्वारा प्रश्नगत भूमि पर घर बनाया गया है साथ ग्रामीणों द्वारा भी बताया गया कि विपक्षी उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज है। अपीलार्थी द्वारा बिना अधिकार वाले आदमी राजकुमार, बिरेन्द्रनाथ सिंह से भूमि क्रय किया गया है। क्रेता बासुदेव महतो, पिता–कुंजल महतो उक्त भूमि

पर फर्जी सेल डीड के आधार पर कभी काबिज नहीं हुए थे। राजस्व कर्मचारी ने अंचल अधिकारी, कुन्दा के समक्ष प्रतिवेदन समर्पित किया है कि विपक्षी के पूर्वजों का जमाबंदी 1955 से चल रहा है। अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा बिल्कुल सही आदेश पारित किया गया है। विपक्षी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया है कि–खाता संख्या–22 कुल प्लॉट संख्या 14, कुल रकवा–12.33 एकड़ भूमि विक्रेता राजकुमार विरेन्द्र नाथ सिंह पिता–राजा राम बल्लभ नाथ सिंह ग्राम–प्रतापपुर के द्वारा केवाला संख्या–435, दिनांक–11.07.1959 को को बासुदेव महतो पिता कुंजल महतो मौजा–बनवार थाना–सिमरिया के पास विक्री किया गया है, लेकिन उक्त भूमि पर क्रेता एवं विक्रेता को कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा है, इस बात की सम्पुष्टि उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा बतलाया गया है, साथ ही हल्का राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि क्रेता बासुदेव महतो पिता–कुंजल महतो मे नाम से पंजी–2 के पृष्ट संख्या 25 भौलुम 1 में रसीद संख्या 41/210 दिनांक–18.12.1973 को प्रथम रसीद निर्गत किया गया है परंतु परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में कोई दाखिल खारिज वाद सख्या या कोई सक्ष्म पदाधिकारी आदेश अंकित नहीं है सीधा राजस्व कर्मचारी के द्वारा रसीद निर्गत किया गया है। इसी खाता प्लॉट के भूमि विपक्षी रंजीत यादव पिता रामवृक्ष यादव के पर दादा के समय से घर बना हुआ है एवं उसी के पूर्वजों के समय से दखल कब्जा है, इस बात की सम्पुष्टि सभी उपस्थित ग्रामीणों एवं अर्जिकार मनि देवी के पुत्र बंढन यादव के द्वारा स्वीकार किया गया है तथा जॉच के समय उपस्थित होकर हस्ताक्षर भी बनाये है तथा कार्यालय में व्यान लेने दौरान स्वीकार किया है इस जमीन से संबंधित जॉच के समय रंजीत यादव के द्वारा एक हुकुमनामा एवं पुराना पंजी–2 के सच्ची प्रतिलिपि का छायाप्रति जो अंचल कार्मचारी से निर्गत है का छयाप्रति जमा किया गया है, जो 1955 से सरकारी रसीद निर्गत हुआ है, जो 1962 तक है, उक्त रसीद राजा के द्वारा जमीनदारी रसीद एवं हुकुमनामा के आधार पर निर्गत किया गया है, कुछ रैयतों एवं पक्ष विपक्ष के द्वारा एवं उपस्थित रैयतों के द्वारा बतालाया गया है कि इसी खाता प्लॉट का 4.00 एकड भूमि का निबंधन कोर्ट में बासुदेव महतो के द्वारा रद्द भी करा दिया गया है। राजा के द्वारा हुकुमनामा जमीन्दारी रसीद देने के बाद ही रंजीत यादव के पूर्वजों के नाम से रसीद निर्गत किया है यह बात दोनो पक्षों ने बतलाया चुँकि उक्त भूमि बकास्त

खाते की है एवं हरवंश महतो के नाम से है, राजा उक्त भूमि को किस प्रकार हासिल किये है, कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। न तो राजा के नाम से रसीद निर्गत हुआ है नही भमि पर दखल कब्जा रहा है। पक्षकार मनी देवी पति–केशर यादव के द्वारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन अंचल कार्यालय में दिया गया था जो दखल कब्जा नहीं रहने के कारण दोनो पक्ष विपक्ष में काफी विवाद हुआ जिसके कारण कुन्दा थाना के प्रतिवेदन के आधार पर अनुमण्डल कार्मा0 चतरा में धारा 107 वाद सख्या–253/2014 चल रहा है। हल्का राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर **यह ममला हक हकयित का बनता** है, अतः उक्त प्रतिवेदन के आलोक में तथा पक्ष विपक्ष के ब्यान के आलोक में अर्जिकार मनि देवी केशर यादव साकिन खपिया का दाखिल खारीज प्रतिवेदन अस्वीकृत किया जाता है। **अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि**–"ग्राम खपिया के थाना नं0 169 के अन्तर्गत खाता संख्या–22 में कुल प्लॉट की संख्या–14 कुल रकवा–12.33 ए0 भूमि सर्वे **खतियान में बकास्त लगान पाने वाला हरवंश महतो के नाम से दर्ज है।** उक्त जमीन खाता संख्या–22 कुल प्लॉट 14 का कुल रकवा–12.33 एकड भूमि के विक्रेता राजकुमार विरेन्द्र नाथ सिंह, पिता–राजा राजबल्लभ सिंह, ग्राम–प्रतापपुर के द्वारा केवाला नं 435, दिनांक–11.07.1959 को क्रेता बासदेव महतो, पिता–कुंजल महतो, ग्राम–बनवार, थाना–सिमरिया के पास बिक्री कर दिये थे। लेकिन यह भूमि बिक्रेता के पास कभी भी दखल कब्जा में नहीं था और क्रेता को भी दखल कब्जा नहीं है। यह उपस्थित सभी ग्रामीणों ने बतलाया। इसी जमीन को पंजी–II के पृष्ठ संख्या–25 भौलूम 01 में बासुदेव महतो, पिता–कुजंल महतो के नाम वर्ष 18.12.73 को रसीद नं0 411210 निर्गत किया गया है, मगर पंजी–II के परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में कोई दा0खा0 केश अकित नहीं है। सीधा रा0कर्म0 द्वारा रसीद निर्गत कर दिया गया है। यही राजस्व विवाद का मामला बना हुआ है। चुँकि बासुदेव महतो के एक इंच जमीन पर दखल कब्जा नहीं था नहीं है। इसी जमीन के प्रतिपक्षी रणजीत यादव पिता राम वृक्ष यादव के परदादा के समय से घर बना हुआ है जमीन उसी के पुर्वजों के समय से दखल कब्जा में है। सभी उपस्थित ग्रामीणें एवं अर्जीकार मनी देवी के पुत्र बढन यादव के द्वारा भी कबुल किया एवं जॉच के समय उपस्थित होकर हस्ताक्षर भी बना दिये है। इस जमीन के संबंध में रणजीत यादव के द्वारा एक हुकुमनामा एवं पुराना पंजी 2 के सच्ची प्रतिलिपि जो अंचल कार्यालय से ही निर्गत होते

आया है, जो 1955 से ही सरकारी रसीद निर्गत होते आया है। जो 1962 तक है। अंचल कार्यालय में पंजी 2 पुराना का अवलोकन किया जा सकता है। उक्त रसीद राजा के हुकुमनामा से प्राप्त है। उक्त भूमि को सिर्फ पंजी–2 में जमाबंदी एवं रसीद के आधार पर बासु यादव के पुत्र पुरन यादव ग्राम बनवार थाना सिमरिया मनी देवी, पति–केशर यादव अन्य कई के पास जमीन बिक्री कर दिये है। कुछ रैयतों एवं पक्ष विपक्ष के द्वारा बतलाया गया कि इसी खाता प्लॉट का 4.00 एकड़ भूमि का किया हुआ केवाला का निबंधन कोर्ट में रद्द भी कर दिये है। वह तब रद्द हुआ जब यह पता चला कि विपक्षी रंजीत यादव के पुर्वजों के नाम से राजा हुकुमनामा जिम्मेदारी रसीद दे चुके थे। और रसीद 1955–56 से निर्गत हो रहा है। यह बात दोनों पक्षों ने बतलाया है इस प्रकार विक्रेता फर्जी कागजतों पर आधारित है, चुँकि भूमि सर्वे वकास्त खाता हरवंश महतो के नाम से है। राजा उक्त भूमि को किस प्रकार हासिल प्राप्त किये है कोई प्रमाण नहीं है। न तो राजा का रसीद निर्गत हुआ न ही भूमि पर दखल कब्जा रहा न ही क्रेता बासु महतो का खरीद के बाद कोई सक्षम पदाधिकारी के आदेश से रसीद निर्गत हुआ न तो भूमि पर दखल कब्जा रहा। पक्षकार मनी देवी के दाखिल खारिज आवेदन के बाद दखल कब्जा के प्रश्न पर दोनों पक्षो काफी विवाद एवं मारपीट हुआ है। जिसका मामला थाना के प्रतिवेदन के बाद अनुमण्डल कार्यालय चतरा में 107 का मामला वाद संख्या 253/2014 चल रहा है। बदन यादव मजबुत एवं बलशाली एवं प्रभाव शाली व्यक्ति होने के कारण कुछ भुमि पर दखल किया है। लेकिन पूर्ण भूमि पर दखल नहीं है। आज भी दखल कब्जा पर शान्ति भंग होने का संभवाना बन हुआ है। इस प्रकार से **यह मामला हक हकियत का बनता** है जो सक्षम व्यवहार न्यायालय ही स्पष्ट कर सकता है कि दोनों पक्षों का कागजात को स्पष्ट हो सकें चुँकि खेवटदार के दोनों पक्षों में किसी का कोई संबंध नहीं है। राजा द्वारा पुर्व में हुकुमनामा जिम्मेदारी रसीद दिया गया है वाद में पक्षकार को केवाला कर दिया गया है। खेवटदार के द्वारा दोनों पक्षों में किसी को कोई कागजात नहीं दिया है।"

उपरोक्त उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का लिखित कथन, अंचल अधिकारी, कुन्दा का आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों से निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन में अंकित है कि–"ग्राम खपिया के थाना न0 169 के अन्तर्गत खाता संख्या–22

में कुल प्लॉट की संख्या–14 कुल रकवा–12.33 ए0 भूमि सर्वे **खतियान में बकास्त लगान पाने वाला हरवंश महतो के नाम से दर्ज है।"**

2. बासुदेव महतो (प्रथम पक्ष के विक्रेता पुरन यादव के पिता) को खाता संख्या–22 कुल प्लॉट संख्या 14, कुल रकवा–12.33 एकड़ भूमि विक्रेता राजकुमार विरेन्द्र नाथ सिंह पिता–राजा राम बल्लभ नाथ सिंह ग्राम–प्रतापपुर के द्वारा केवाला संख्या–435, दिनांक–11.07.1959 सेल डीड के माध्यम से प्राप्त है।

3. आवेदक मनी देवी, पति–केसर यादव ने खाता संख्या–22, प्लॉट संख्या क्रमशः 185, 168, 94 रकवा क्रमशः 2.75, 2.75 एवं 0.49 डी0 मधे रकवा–0.36 डी0, 0.40 डी0 एवं 0.24 डी0 कुल रकवा–1.00 एकड़ भूमि विक्रेता पुरन यादव, पिता–बासुदेव महतो से क्रय किये है।

4. प्रश्नगत भूमि (बकास्त) बासुदेव महतो द्वारा राजकुमार विरेन्द्र नाथ सिंह, पिता–राजा राम बल्लभ नाथ सिंह से क्रय किया गया है, राजकुमार विरेन्द्र नाथ सिंह, पिता–राजा राम बल्लभ नाथ सिंह को बकास्त भूमि कैसे प्राप्त हुआ स्पष्ट नहीं है।

5. साथ ही अंचल अधिकारी, कुन्दा से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख में अंकित है कि–"क्रेता बासुदेव महतो, पिता–कुंजल महतो (प्रथम पक्ष **मनी देवी** के विक्रेता पुरन यादव के पिता–बासुदेव महतो) के नाम से पंजी–II के पृष्ठ संख्या–25 भौलुम I में रसीद संख्या–41210, दिनांक–18.12.1973 को प्रथम रसीद निर्गत किया गया है।" संबंधित पक्षो द्वारा समर्पित ऑनलाईन पंजी 2 की प्रति से स्पष्ट है कि बासु महतो, पिता–कुजंल महतो के नाम से खाता संख्या–22 कुल रकवा–4 ए0 439 डी0 भूमि का सरकारी रसीद वर्ष 2020–21 निर्गत है। अर्थात् जमाबंदी कायम है परन्तु राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में अंकित है कि–" इसी जमीन को पंजी–II के पृष्ठ संख्या–25 भौलूम 01 में बासुदेव महतो, पिता–कुजंल महतो के नाम वर्ष 18.12.73 को रसीद न0 411210 निर्गत किया गया है, मगर पंजी–II के परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में कोई दा0खा0 केश अंकित नहीं है। सीधा रा0कर्म0 द्वारा रसीद निर्गत कर दिया गया है। यही राजस्व विवाद का मामला बना हुआ है। **चुँकि बासुदेव महतो के एक इंच जमीन पर दखल कब्जा नहीं था नहीं है।"**

6. **साथ ही साथ** अचंल अधिकारी, कुन्दा ने अपने आदेश पत्रक में यह भी उल्लेखित किया है कि –"रंजीत यादव, पिता–रामवृक्ष यादव के परदादा के समय से घर बना हुआ है एवं उसी के **पूर्वजों के समय से दखल कब्जा है**, इस बात की सम्पुष्टि सभी उपस्थित

ग्रामीणों एवं अर्जिकार मनी देवी के पुत्र बढन यादव के द्वारा स्वीकार किया गया है। इस जमीन के संबंध में **रण्जीत यादव** के द्वारा हुकुमनामा एवं पुराना पंजी 2 के सव्वी प्रतिलिपि जो अंचल कार्यालय से ही निर्गत होते आया है, जो 1955 से ही सरकारी रसीद निर्गत होते आया है, जो 1962 तक है।" अर्थात् जमाबंदी कायम है परन्तु वर्ष 1962 के बाद रसीद निर्गत नहीं होने संबंधी स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित नहीं किया गया है। वर्तमान में द्वितीय पक्ष का जमांबदी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

7. **अंचल अधिकारी ने अपने आदेश पत्रक में यह भी अंकित किया है कि**–"कुछ रैयतों एवं पक्ष विपक्ष के द्वारा एवं उपस्थित रैयतों के द्वारा बताया गया है कि इसी खाता प्लॉट का 4.00 एकड़ भूमि का निबंधन कोर्ट में बासुदेव महतो के द्वारा रद्द करा लिया गया है।"

8. **अंचल अधिकारी, कुन्दा द्वारा** जांच प्रतिवेदन एवं पक्ष विपक्ष के बयान के आधार पर हक हकियत का मामला मानते हुए दाखिल खारिज से संबंधित अभ्यावेदन अस्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर स्पष्ट है कि संबंधित जमीन का स्वामित्व निर्धारण के पहले दाखिल–खारिज से संबंधित आवेदन स्वीकृत करते हुए रसीद निर्गत करने संबंधी आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। संबंधित मामला स्वत्व (Ownership) और Physical Possession से संबंधित है। स्वामित्व (Ownership) का मामला का निपटारा Civil Court/समक्ष न्यायालय ही कर सकता है। अतः संबंधित पक्ष स्वामित्व निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय/Civil Court की शरण में जा सकते हैं। संबंधित मामले में स्वामित्व का निर्धारण होने के बाद ही दाखिल खारिज के संबंध में नियमसंगत आदेश पारित करना उचित प्रतीत होता है।

वाद की प्रकिया समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी, कुन्दा को संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेंजे।

(लेखापित एवं संशोधित)

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2022.12.26 21:48:58 -08:00
Location: 2409:4064:229a:40cc:4813:47ca:9b65:19dc

24/03/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

24/03/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।